भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2815

जिसका उत्तर 12.12.2024 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना

2815. श्री बैजयंत पांडा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाए जाने को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और वाहन मालिकों को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर चार्जिंग अवसंरचना में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और अब तक कुल कितने सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार ने राजमार्गों और प्रमुख सड़कों के किनारे चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) का.आ. 5333(अ), दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के तहत जारी अधिसूचना में बैटरी चालित परिवहन वाहनों और इथेनॉल तथा मेथनॉल ईंधन से चलने वाले परिवहन वाहनों को परमिट की आवश्यकताओं से छूट दी है।

(ii) सा.का.नि. 525(अ), दिनांक 2 अगस्त, 2021 के तहत जारी अधिसूचना में बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या नवीनीकरण करने और नए पंजीकरण चिह्न के निर्दिष्टीकरण (असाइनमेंट) के उद्देश्य से शुल्क के भुगतान से छूट दी है।

(iii) सा.का.नि. 749(अ), दिनांक 7 अगस्त, 2018 के तहत जारी अधिसूचना में परिवहन वाहनों के लिए बैटरी चालित वाहनों हेतु पंजीकरण चिह्न को हरे रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में और अन्य सभी मामलों में हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में अधिसूचित किया है।

(iv) बिना किसी परमिट शुल्क के बैटरी चालित वाहनों के लिए अखिल भारतीय पर्यटक परमिट जारी करने के लिए सा.का.नि. 302 (अ), दिनांक 18 अप्रैल, 2023 के तहत अधिसूचना जारी की गई।

(v) सा.का.नि.167(अ), दिनांक 1 मार्च, 2019 के तहत वाहनों में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम या इलेक्ट्रिक किट के रेट्रो-फिटमेंट के लिए अधिसूचना जारी की गई और उनके अनुपालन मानक एआईएस 123 के अनुसार होंगे।

(vi) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने और साझा गतिशीलता (मोबिलिटी) और सार्वजनिक परिवहन परिचालन में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने के संबंध में 17 जुलाई, 2019 को परामर्शी जारी की गई है।

(vii) बैटरी के बिना इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण के संबंध में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 12 अगस्त, 2020 को एक परामर्शी जारी की गई है।

(ख) और (ग) देश भर में कुल 25202 चार्जिंग स्टेशन विकसित किए गए हैं। सरकार ने देश भर में चार्जिंग अवसंरचना में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) सरकार के विद्युत मंत्रालय ने राजस्व साझाकरण मॉडल से सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर ईवी चार्जिंग अवसरंचना की स्थापना के लिए 17 सितंबर, 2024 को "इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश - 2024" जारी किए हैं।

(ii) सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ईवी चार्जिंग अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए मार्गस्थ सुविधाओं के तहत चार्जिंग सुविधाओं को अनिवार्य सुविधा बना दिया है।

(iii) सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने चार्जिंग अवसंरचना को बढाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं तैयार की हैं:

क. फेम इंडिया योजना के चरण- II के तहत, भारी उद्योग मंत्रालय ने 10,585 ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) स्थापित करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन तीन तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 873.50 करोड़ रुपये आवंटित किए। इसके अलावा, 400 ईवीपीसीएस की संस्थापना हेतु अन्य प्रतिष्ठानों के लिए 39 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

ख. हाल ही में, ई-2पहिया, ई-3पहिया, ई-ट्रक, ई-एम्बुलेंस और ई-बसों सहित इलेक्ट्रिक परिवहन (मोबिलिटी) में सहायता करने के साथ ही दो वर्षों में, वित्त वर्ष 2025-26 तक चार्जिंग अवसंरचना का विकास करने और परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन करने के लिए पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना शुरू की गई है। इसका कुल परिव्यय 10,900 करोड़ रुपये है, ई-4पहिया के लिए 22,100 फास्ट चार्जर, ई-बसों के लिए 1800 फास्ट चार्जर और ई-2पहिया/3पहिया के लिए 48,400 फास्ट चार्जर की संस्थापना के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

*****